14.10.25 | पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि एक प्रा. पत्र दिनांक 30.8.2024 को प्रार्थीयान द्वारा देवी के अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया। और निवेदन किया की विवादित आराजी ख. नं. 8345/2 [illegible] । जिल्ला ग्राम करौली की प. [illegible] । प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी की गई अप्रार्थी सं. 1 ने [illegible] अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। व निवेदन किया की उक्त विवादित

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.20 17:27:24 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आराजी ख.नं. 8349 का सहमति बंटवारा वर्ष 2016 में किया गया था तत्पश्चात हमारे हिस्से की भूमि का अधिग्रहण परियोजनार्थ सम्परिवर्तन करवा लिया है। उक्त ग्रा. करौली का राजस्व लट्ठा नक्शा जीर्ण-शीर्ण व फटा हुआ है तथा हम हमारे हिस्से की भूमि पर विधिवत रूप से काबिज हैं। प्रार्थीया जानबूझ कर हैरान-परेशान करने की नियत से प्रा.पत्र पेश करता है इसलिए प्रा.पत्र खारिज किया जावे। जरिये अधिवक्ता जवाब अप्रार्थी सं. 2 ने पेश कर निवेदन किया की उक्त विवादित आराजी से नगरपरिषद का कोई ताल्लुक नहीं है। प्रार्थीयान द्वारा गलत प्रा.पत्र पेश किया गया है इसलिए प्रा.पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी सं. 3 लैण्ड होल्डर UDR करौली ने जवाब पेश नहीं कर मौखिक बहस की और निवेदन किया की उक्त विवादित आराजी का संयुक्त खातेदारी से सहमती बंटवारा वर्ष 2016 में किया गया था। वर्तमान में नक्शा लट्ठा उपलब्ध नहीं होने के कारण सीमाज्ञान नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकरण में मौके पर बनी आबादी बसी हुई है इसलिए जरीब फीता चलाया जाना भी संभव नहीं है। इस कारण प्रकरण को खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता ने उप. होकर बहस कर निवेदन किया की विवादित आराजी का सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी की जावे। प्रकरण में [illegible] बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात निष्कर्ष यह निकलता है की UDR करौली ने अवगत कराया है कि उक्त विवादित आराजी का [signature]

Signature Not V
Digitally signed by
Date: 2026.04.20 1
Reason: SelfAtteste

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नक्शा ट्रेस उपलब्ध नहीं है। नक्शा जीर्ण-शीर्ण व फटा हुआ है। मौके पर घनी आबादी बसी हुई है इस कारण सीमाज्ञान कार्य संभव नहीं है। उक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब सीमाज्ञान ही नहीं किया जा सकता तो पत्थरगढ़ी बिना सीमाज्ञान के संभव ही नहीं है। उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 128 L[illegible] खारिज किया जाता है। [illegible] नंबर से पत्रावली फैसल [illegible] कम हो व दाखिल [illegible] हो। Signature Not Verified Digitally signed by Prem Raj Meena Date: 2026.04.20 17:27:24 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	